संख्या-488/2025/1663/22-2-2024-17(829)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चनकऊ पुत्र श्री हौले, निवासी जनपद-बर्दिया राष्ट्र नेपाल की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-29660/प्रो0अनु0(2)-244/2023/(बैठक दिनांक 08.02.2023), दिनांक 01.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चनकऊ पुत्र श्री हौले, ग्राम-ईश्वरीगंज, थाना-राजापुर मण्डी, जनपद-बर्दिया, राष्ट्र नेपाल का निवासी है। दिनांक 05.04.2001 को शाम 05:00 बजे लकड़ी काटने व कटवाने को लेकर बंदी ने 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वनरक्षक जितेन्द्र और वाचर कल्लू बीट संख्या-1, रेंज कतर्निया घाट से गश्त करके नो मेन्स लैण्ड से कतर्निया घाट की तरफ पहुंचे थे कि उन्हें बन्धक बना लिया और चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-49/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 353, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-1, बहराइच के आदेश दिनांक 07.08.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा 15.01.2023 तक अपरिहार 21 वर्ष, 04 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 09 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 15.01.2023 तक 43 वर्ष 10 माह 05 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत सघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 25.11.2022 द्वारा बदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनाक 05.04.2001 को शाम 05:00 बजे लकड़ी काटने व कटवाने को लेकर बदी ने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बनरक्षक जितेन्द्र और वाचर कल्लू बीट संख्या-1 रेंज कतर्निया घाट से गश्त करके नो मेन्स लैण्ड से कतर्निया घाट की तरफ पहुंचे थे कि उन्हें बन्धक बना लिया और चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिनाक 25.11.2022 द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एव जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी चनकऊ पुत्र हौले को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चनकऊ (बन्दी संख्या-225/2019) पुत्र श्री हौले, निवासी जनपद-बर्दिया राष्ट्र नेपाल की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-488/2025/1663(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराईच।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 तथा रिट याचिका सं0-161/2022 सुरेन्द्र कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in